मंगीलाल

बनाम

राजस्थान राज्य

20 फरवरी, 2007

[एस. बी. सिन्हा और मार्कंडेय काटजू, न्यायाधिपतिगण]

सेवा कानून-पदोन्नति-सहायक खनन इंजीनियर का पद - आनेवाले खान फोरमैन ग्रेड II का पद और खनन इंजीनियरिंग की डिग्री धारी जो पदोन्नति का सीधे दावा रखते हैं-पात्रता- अभिनिर्धारित किया गया - हकदार नहीं है क्योंकि पदधारी माइंस फोरमैन ग्रेड-I या हेड ड्राफ्ट्समैन या सीनियर सर्वेयर का पद धारण नहीं कर रखा था जैसा कि नियम-राजस्थान माइंस एंड जियोलॉजिकल सर्विस रूल्स, 1960-कॉलम 6 द्वारा आवश्यक था।

राजस्थान खान और भूवैज्ञानिक सेवा नियम, 1960 के संदर्भ में सहायक खनन अभियंता के पद पर पदोन्नति खान फोरमैन ग्रेड-I, हेड ड्राफ्ट्समैन या वरिष्ठ सर्वेक्षक के फीडर पदों से दी जानी थी। अपीलार्थी, खनन में डिप्लोमा धारक को सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके बाद, उन्होंने अपनी माइनिंग इंजीनियरिंग की और सीधे सहायक माइनिंग इंजीनियर के पद पर पदोन्नति का दावा किया। उस समय, अपीलार्थी खान फोरमैन ग्रेड II के रूप में काम कर रहा था। याचिकाकर्ता

की याचिका खारिज कर दी गई। उन्होंने रिट याचिका दायर की जिसे भी खारिज कर दिया गया। इसलिए वर्तमान अपील।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

निर्णीत किया गया : 1. 1.राजस्थान खान और भूवैज्ञानिक सेवा नियम, 1960 का कॉलम 6 पद को भरने के लिए आवश्यक अनुभव के बारे में बताता है।'योग्यता' और 'अनुभव' अलग-अलग आधार पर खड़े हैं। पदोन्नति के माध्यम से पद भरने के लिए एक चैनल होना चाहिए। किसी भी चैनल के अभाव में, पदोन्नति प्रभाव में नहीं लाया जा सकता है।[पैरा 9 और 10]

1. 2.नियम को पूरी तरह से पढ़ा जाना चाहिए। इसलिए पढ़ें, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि सहायक खनन अभियंता के पद पर पदोन्नति के उद्देश्य से, उम्मीदवार को खान फोरमैन ग्रेड-I या हेड ड्राफ्ट्समैन या वरिष्ठ सर्वेक्षक के पद का धारक होना चाहिए। चूंकि अपीलार्थी ने संबंधित समय पर उक्त पदों में से कोई भी पद नहीं संभाला था, इसलिए उसे सहायक खनन अभियंता के पद पर पदोन्नत करने का सवाल ही नहीं उठा। अपीलार्थी के दावे का भी का कोई कानूनी आधार नहीं है क्योंकि राज्य ने सूचित किया है कि डिग्री धारक सर्वेक्षक या अपीलार्थी से कनिष्ठ के किसी भी समकक्ष पद पर काम करने वाले व्यक्ति को कभी भी सहायक के पद पर पदोन्नत नहीं किया गया है।डिग्री धारक कोटे के में खनन अभियंता, क्योंकि नियमों के अनुसार, सहायक माइनिंग इंजीनियर

के लिए फीडर पद माइन्स फोरमैन जीआर-1, प्रमुख ड्राफ्ट्समैन और वरिष्ठ सर्वेक्षक हैं।[पैरा 8,11 और 12]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार :सिविल अपील सं**. 855/2007**

डी. बी. विशेष अपील (रिट) सं. 615/2005 में राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर के निर्णय और अंतिम आदेश दिनांक 1.3.2006 से उत्पन्न।

अपीलार्थी के लिए नरेश कौशिक, ललिता कौशिक, बी. बी. मेथैला, अमिता कल्कल और अनीश ढींगरा।

प्रत्यर्थी की ओर से अरुणेश्वर गुप्ता, नवीन कुमार सिंह, मुकुल सूद और शास्वत गुप्ता।

न्यायालय का निर्णय निम्न द्वारा दिया गया था।

एस**.** बी**.** सिन्हा**,** न्यायाधिपति 1. अनुमति प्रदान की गई।

2. इसमें अपीलार्थी को 31.08.1979 पर एक सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। उनकी शैक्षिक योग्यता तब खनन में डिप्लोमा थी। उन्होंने वर्ष 1986 में माइनिंग में ए. एम. आई. ई. किया। उन्होंने सीधे इस आधार पर सहायक खनन अभियंता के पद पर पदोन्नति का दावा किया कि उन्होंने इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की थी। संबंधित समय में वे माइंस फोरमैन ग्रेड II के रूप में काम कर रहे थे। नियमों के अनुसार, सहायक खनन अभियंता के पद पर पदोन्नति खान फोरमैन ग्रेड-I, हेड ड्राफ्ट्समैन

या वरिष्ठ सर्वेक्षक के फीडर पदों से दी जानी थी। इसलिए उन्हें सहायक खनन अभियंता के पद पर नियुक्त करने के उनके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया। उन्होंने उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की जिसे विवादित फैसले के कारण खारिज कर दिया गया है।

3. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री नरेश कौशिक प्रस्तुत करेंगे कि उस समय क्षेत्र में काम करने वाले नियमों को ध्यान में रखते हुए, सहायक खनन अभियंता के पद पर पदोन्नति के उद्देश्य से खान फोरमैन ग्रेड-II के पद पर भी विचार किया जाना चाहिए था।

4. श्री अरुणेश्वर गुप्ता, एच. 1004 की ओर से उपस्थित प्रत्यर्थी के विद्वान वकील तथापि, निर्णय का समर्थन करते हैं।

5. राजस्थान खान और भूवैज्ञानिक सेवा नियम, 1960 (संक्षेप में, 'नियम') के कॉलम 6 में पदोन्नति के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता और अनुभव निर्धारित किया गया है, जो निम्नलिखित शर्तों में है।

> "माइनिंग इंजीनियरिंग या समकक्ष में डिग्री धारकों के मामले में 3 साल का अनुभव या समकक्ष और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से माइनिंग इंजीनियरिंग में डिप्लोमा धारकों के मामले में, माइन फोरमैन ग्रेड-II से कम नहीं अधीनस्थ खान और भूवैज्ञानिक सेवा में किसी भी पद पर 7 साल का अनुभव।"

6.निर्विवाद रूप से, अपीलार्थी की सेवा के नियम और शर्तें उक्त नियमों द्वारा शासित होती हैं। दिनाँक 20.05.1977 पर या उसके आसपास, उक्त नियमों में संशोधन किया गया था, जिसके संदर्भ में सहायक खनन अभियंता के पद पर पदोन्नति इनमें से किसी एक के पद पर आसीन व्यक्तियों में से की जानी थीः(i) माइन्स फोरमैन ग्रेड-I; या (ii) हेड ड्राफ्ट्समैन; (iii) या अधीनस्थ माइन्स एंड जियोलॉजिकल सर्विस में कोई भी पद जिसका वेतनमान माइन्स फोरमैन ग्रेड-II के समान या डी से अधिक हो।

7.निर्विवाद रूप से , नियमों के अनुसार, सहायक खनन अभियंता के 50 प्रतिशत पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना है; 30 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा डिप्लोमा धारकों में से और डिग्री धारकों में से 20 प्रतिशत। सहायक खनन अभियंता के रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यक योग्यता निम्नानुसार हैः

"भारत में कानून द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से खनन इंजीनियरिंग में डिग्री।

अथवा

ए. एम. आई. ई. (इंजीनियरिंग संस्थान का खनन इंजीनियरिंग भाग ए और बी।

अथवा

इंडियन स्कूल ऑफ माइंस एंड एप्लाइड जियोलॉजी, धनबाद से माइनिंग इंजीनियरिंग में डिप्लोमा।“

8. अपीलार्थी, स्वीकार्य रूप से ,संबंधित समय पर खान फोरमैन ग्रेड-I का पद धारण नहीं किया था।

9. उक्त नियमों के कॉलम 6 में श्री कौशिक द्वारा उक्त पद को भरने के लिए आवश्यक अनुभव के बारे में बताया गया है।जबकि तीन साल का अनुभव आवश्यकता को पूरा करेगा यदि कोई उम्मीदवार माइनिंग इंजीनियरिंग या समकक्ष में डिग्री धारक है, तो किसी भी पद पर किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से माइनिंग इंजीनियरिंग में डिप्लोमा धारकों के मामले में सात साल का अनुभव आवश्यक था, लेकिन यह माइंस फोरमैन ग्रेड-II से कम नहीं होना चाहिए।

10. 'पात्रता' और 'अनुभव' अलग-अलग आधार पर खड़े हैं। पदोन्नति के माध्यम से पद भरने के लिए एक चैनल मौजूद होना चाहिए। किसी भी चैनल के अभाव में पदोन्नति को क्रियान्वित नहीं किया जा सकता।

11. नियम को पूरा पढ़ा जाना चाहिए। इसलिए पढ़ें, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि सहायक खनन अभियंता के पद पर पदोन्नति के लिए, उम्मीदवार को माइंस फोरमैन ग्रेड- I या पद का धारक होना चाहिए या हेड ड्राफ्ट्समैन या वरिष्ठ सर्वेक्षक। चूंकि अपीलकर्ता के पास उक्त कोई

भी पद नहीं था, इसलिए उसे सहायक खनन अभियंता के पद पर पदोन्नत करने का सवाल ही नहीं उठता।

12. खुद को संतुष्ट करने की दृष्टि से हमने राज्य को यह सूचित करने का निर्देश दिया था कि क्या प्रासंगिक समय के दौरान माइंस फोरमैन ग्रेड-I के कैडर से संबंधित व्यक्ति उपलब्ध थे और वास्तव में पदोन्नत किए गए थे । हमारे समक्ष एक लिखित बयान दिया गया है जिसका आशय निम्नलिखित है:

> "रिकॉर्ड के अनुसार, वर्ष 1984-85 से 1987-88 तक डिग्री धारक कोटा से रिक्त उपलब्ध सहायक खनन अभियंता के पदों का विवरण इस प्रकार था-

वर्ष	पदों की संख्या
1984-85	00
1985-86	01
1986-87	01
1987-88	00

डिग्री धारक कोटे से असिस्टेंट, माइनिंग इंजीनियर के पद के लिए दो पदों की पूर्ति नहीं की जा सकी क्योंकि माइंस फोरमैन ग्रेड के फीडर पदों से कोई योग्य उम्मीदवार नहीं था। हेड ड्राफ्ट्समैन और सीनियर सर्वेयर के

पद पर कोई पात्र नहीं पाए गए। वर्ष 1985-86 और 1986-87 के लिए डिग्री धारक कोटे से इन दो रिक्त पदों को वर्ष 1988-89 के लिए अग्रेषित किया गया था, जहां डिग्री धारक कोटे के लिए अधिक पद उपलब्ध किए गए। इसलिए, वर्ष 1989-89 के लिए, सहायक के तीन पद पर डिग्री धारक कोटे से खनन इंजीनियर को पूरा पाया गया। योग्य उम्मीदवारों की सूची में से, वर्ष 1988-89 में डिग्री धारक के दो उम्मीदवार उपलब्ध थे और श्री श्याम लाल सुखवाल और श्री अब्दुल लतीफ शेख को सहायक के पद पर पदोन्नत किया गया था। उस वर्ष खनन इंजीनियर ये दोनों उम्मीदवार माइंस फोरमैन जीआर-1 के रूप में काम कर रहे थे। और वे श्री मंगीलाल से वरिष्ठ थे।

यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि किसी भी डिग्री धारक सर्वेक्षक या श्री मंगीलाल के जूनियर के समकक्ष पद पर काम करने वाले व्यक्ति को कभी भी खनन अभियंता को सहायक के पद पर पदोन्नत नहीं किया गया है, डिग्री धारक कोटे के में, क्योंकि नियमों के अनुसार, सहायक माइनिंग इंजीनियर के लिए फीडर पद माइन्स फोरमैन जीआर -1 , प्रमुख ड्राफ्ट्समैन और वरिष्ठ सर्वेक्षक है इसलिए, अपीलार्थी के दावे का कोई कानूनी आधार नहीं है।

13. इस अपील में कोई योग्यता नहीं है, जिसे तदनुसार खारिज कर दिया जाता है।कोई कोस्ट्स नहीं।

याचिका खारिज कर दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास"के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।